न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस०सी०/एस०टी० एक्ट),
सन्त कबीर नगर।

UPSK010028602022

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1356/2022

1.जब्बार अली, पुत्र–सानुल्लाह
2.गफ्फार अली, पुत्र–सानुल्लाह
3.सहाबुन्निशा, पत्नी–जब्बार अली
ग्राम–मलौली, थाना–धनघटा, संत कबीर नगर।

.....आवेदक/अभियुक्तगण

परिवाद सं०–55/2018
धारा–323, 504, 354 IPC व 3(1)द,ध Sc/ST Act
थाना–धनघटा, जिला–संत कबीर नगर।

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र</u>

आवेदक/अभियुक्तगण **जब्बार अली, गफ्फार अली व सहाबुन्निशा** द्वारा उपरोक्त मामले में यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

परिवाद कथानक के अनुसार दिनांक–10.04.2017 को समय बारह बजे दिन में विपक्षीगण एक राय होकर परिवादिनी को अपमानित करने के आशय से खुले जगह पर परिवादिनी को कहने लगे कि धोबिन की जाति मादरचोद, तुमको यहां निर्माण नहीं करने देगे। परिवादिनी द्वारा मना करने पर विपक्षीगण उसे लात, मुक्का व डण्डा से मारे पीटे व उसका कपड़ा आदि फाड़ दिये और बाल पकड़कर घसीटकर नंगा कर दिये तथा अश्लील हरकत किये तथा उसे बन्धक बनाकर कमरे में बन्द कर दिये।

आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी को सुना तथा सुसंगत पुलिस प्रपत्रों व पुलिस द्वारा प्रेषित आख्या का अवलोकन किया।

आवेदक/अभियुक्तगण की तरफ से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी न्यायालय में न तो दाखिल है न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थीगण निर्दोष है। प्रार्थीगण को महज रंजिशन झूठे फर्जी मुकदमें में फंसाया गया है। प्रार्थीगण ने न तो मारा पीटा है, न ही जातिसूचक गाली दिया है और न ही जान से मारने की धमकी दिया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। तथा कथित घटना के संबंध में परिवादिनी के बयान एवं गवाहों के बयान में काफी विरोधाभाष है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थीगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेगे। उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की माँग की गयी है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किये गये है कि आवेदक /अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी को मारा पीटा गया तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली दी गयी। उक्त तर्कों के आधार पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध एस०सी०/एस०टी० एक्ट को छोड़कर शेष सभी आरोपित धारायें मजिस्ट्रेट न्यायालय

द्वारा परीक्षणीय है। अभियोजन द्वारा आवेदक/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्तगण की पूर्व दोष –सिद्धि का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक–11.10.2022 के अनुपालन में स्वयं से आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है। मामले में सह अभियुक्तगण नूर मोहम्मद व गुलाईचा देवी का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में अपराध की प्रकृति, गंभीरता तथा कथित अपराध में अभियुक्तगण की भूमिका को विचार में लेते हुए, गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, प्रश्नगत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्तगण **जब्बार अली, गफ्फार अली व सहाबुन्निसा** प्रत्येक द्वारा **25–25 हजार रुपये** के **व्यक्तिगत बंधपत्र** तथा समान धनराशि के **दो–दो सक्षम प्रतिभू** दाखिल करने पर निम्न शर्तों के अधीन कि–

1. अभियुक्तगण प्रत्येक नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगे,
2. अभियुक्तगण अभियोजन साक्षियों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेगे,
3. अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण रूप से सहयोग करेगे,

अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किया जाए।

(दिनेश प्रताप सिंह)
जे०ओ०कोड–UP01531
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी०) एक्ट,
सन्त कबीर नगर।

दिनांक–17.10.2022

Digitally signed by DINESH PRATAP SINGH
Date: 2022.10.17 16:14:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court